परिपत्र

"मगरा क्षेत्रीय विकास योजना"—दिशा निर्देश

1.0 प्रस्तावना

1.1 राजस्थान सरकार के दिशक—ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार यह क्षेत्र जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जहाँ अन्य पिछड़ी जाति एवं अन्य संजातों के लोगों का अधिवास है को मगरा क्षेत्र कहा जाता है। मगरा क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में अन्य राज्यों में अराक्षित संस्थानों से सहयोग करने वाले सरकार के अनुसार राजस्थान में राज्य के अलावा, भोपाल, चित्तूड़गढ़, राजसांस, एवं पारत की दूसर 14. पंचायत समितियों को इस क्षेत्र में फिलहाल समिलित किया गया है। जिले एवं पंचायत समिति तथा इनसे समिलित ग्रामों का संयंह के संबंध में विवरण परितृप्त प्रदान किया जाएगा।

1.2 मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथू साथ इस क्षेत्र में आधारनूत सुविधाओं के विकास हेतु माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2005-06 के बजट में मगरा क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गयी है। इस घोषणा के अनुसार में राज्य में मगरा क्षेत्र विकास योजना लागू की गयी है।

2.0 योजना का उद्देश्य

2.1 क्षेत्र की आवश्यकता एवं दृष्टि में जन-आनंद के अनुरोध कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अनुसार सुरक्षित करना।
2.2 सामुदायिक परिस्थितियों एवं अन्य आधार पूर्व भौतिक सम्पत्तियों का विवरण।
2.3 स्थानीय समुदाय को रोजगार की मांग का उत्तेजना एवं उनके जीवन स्तर में सुधार।
2.4 स्थानीय एवं अन्य लोगों की जन-भागीदारी सुनिश्चित करना।
2.5 स्थानीय लोगों के परम्परागत कार्यों को विकसित करने एवं उनके लाभ लाइक दीर्घकालिक जीवन स्तर की परिपत्र लागू करना।

3.0 योजना की विशेषताएँ:

3.1 इस राज्य वित्त विभाग द्वारा लागू की है।
3.2 यह राज्य क्षेत्र के निर्मित क्षेत्रों में ही लागू हो सकती है।
3.3 इस योजना का आवश्यक होने पर अन्य योजनाओं के साथ डाट्सलिंग भी हो सकती है।
3.4 इस योजनान्तर्गत जन-सहयोग के साथ संयम का भी उपयोग किया जा सकता है।
3.5 इस योजनान्तर्गत प्रयोग करने से ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो राज्य की कार्यों के अन्य योजनाओं की तहत कार्य नहीं कर सकते हैं।

DAHI.S/Maare/Line.1,inc. July.05
4.0 योजनान्तर्गत कराये जाने के लिए कार्यालयों की सूची:

4.1 इस योजनान्तर्गत स्थानीय समुदाय के लाभ एवं उपयोगिता का कोई भी सार्वजनिक कार्य कराया जा सकेगा, जिसमें सामाजिक परिसम्पत्तियाँ / अध्यात्मिक सुविधायें के लिए सहायता की स्थायी विकास व रोजगार के अवसर भी सुझाइये हों।

4.2 इस योजनान्तर्गत समबहिष्ट जिले के केवल ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय जन आंदोलन के अनुसार जनजीवन कार्य कराये जा सकेंगे।

4.3 इस योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यों को स्वीकृत करने में प्राथमिकता हो जा सकेगी, जिनके लिए राज्य सरकार की याचिका योजना में सामाजिक सुविधा या सामान्य राज संस्था के लिए मिलती हो या अपग्रेड करने में ही मिल पाती हो।

4.4. इस योजना के लिए बेहतर ऐसे कार्यों के लिए राजी व्यवस्था की जा सकेंगे, जिससे सूचित होने वाली परिसम्पत्तियों की सार्वजनिक की हो।

4.5 इस योजनान्तर्गत पेट्रोल पंप / टूलबैंक / नलकुप समानित कार्य करेंगे, सड़क निर्माण, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए मुद्रण निर्माण, समस्त सड़कें, पुलियों / सड़क निर्माण प्लांट स्थलों पर आधारभूत उपकरण, चिकित्सालय / डिस्पेंसरी भवन निर्माण, पर्यटन विकसित भवन निर्माण, पुलिसकार भवन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण आदि कार्य एवं जलविद्युत विकास के कार्य भी कराये जाएंगे। साथ ही जीवनार्थन से समन्वित योजनाएं भी किया जाएगा।

5.0 योजनान्तर्गत नहीं कराये जा सकने वाले कार्य:

5.1 किसी भी पंजीकृत संस्था / दुसरे को स्वयं की परिसम्पत्ति बनाने के लिए राजी योजना कार्यों को नहीं लाने उचित नहीं।

5.2 इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु राशि स्वीकृत नहीं की जा सकेंगे:—

(अ) अनुदान एवं अन्न।
(ब) वाणिज्यिक संगठन / निजी संस्थाओं के लिए परिसम्पत्ति।
(च) केवल वस्तु / सामग्री खरीद।
(द) भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहण भूमि के लिए मुआवजा।
(े) व्यवहार के लिए परिसम्पत्ति।
(ो) वार्षिक पृथक स्थल।

5.3 आवृत्ति क्षेत्र।

6. कार्यों की स्वीकृति एवं कियानन्तरण:

6.1 मंगल क्षेत्र विकास योजना की स्वीकृति व कियानन्तरण हेतु नोडल एजेंसी जिला स्तर पर जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकृति) होगी।

6.2 मंगल क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत जिले की आवृत्ति जिले में जिला कल्याण की अवधारणा में गठित जिला मंगल क्षेत्र विकास समिति की बैठक में कार्यों का अनुमोदन करना जारी है। प्रत्येक ग्रामीण विकास विभाग को प्रेरित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों का राज्य स्तर पर मंगल क्षेत्र विकास मंडल द्वारा अनुमोदन करना जारी है। मंगल क्षेत्र अनुमोदित कार्यों का कियानन्तरण जिला कल्याण क्षेत्र द्वारा जारी स्वीकृति उपकरण (जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकृति) द्वारा किया जायेगा।

DAHLS/Maara/Guide Line - Julv 05
6.3 विकास कार्यों की स्थीरता ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के प्रारंभों के अनुसार स्तर से जारी की जा सकेगी।
6.4 स्वीकृत कार्यों का किया गया पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जायेगा विवेक परिस्थितियों में कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा भी ग्रामीण कार्य निर्देशिका की अनुमूलित दृष्टि पर करवाये जा सकते हैं, परन्तु इसके लिए किसी प्रकार के प्रोटेक्ट चार्जों एवं टेंडर प्रस्तावित देय नहीं होगा।
6.5 जीवनार्थ पार्जन से सम्बंधित परियोजना का किया गया सुधार स्वयंसेवी संस्थाओं से भी कराया जा सकेगा।

7.0 धनराशि का अवमोचन:

राज्य स्तर से योजना मद की राशि प्रति वर्ष लेखानुदान / बजट परिवर्तित होने के बाद प्रत्येक जिले को वार्षिक आवंटन 50 प्रतिशत राशि उनकी मण्डल क्षेत्र में उपलब्ध गिनी हो सकेगी, खेती से नीचे जीवनार्थ प्रवर्तक के संबंधी आधार पर एवं रोश 50 प्रतिशत राशि का आवंटन राज्य की साक्षरता प्रतिशत में से मण्डल क्षेत्र की साक्षरता प्रतिशत को घटाते हुए पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

8.0 प्रबोधन व्यवस्था:

8.1 निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।
8.2 इस योजना के अंतर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों का प्रमाणी विभाग द्वारा योजनानुसार अर्जित की जानेवाली विभिन्न एवं धैर्य ग्रामीण प्रतिशत प्रति मण्डल में ग्रामीण विकास विभाग को मह एवं त्रिपलिक होगी तथा उपयोगी प्रगति पिरोड के भौस्थ समाधान के बाद एक करीब तिसपति में भिड़ दी जायेगी।
8.3 योजना अंतर्गत प्रत्येक पंचायत विभाग से कराये जाए कार्यों के कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का भौस्थ साधारण कर उपयोगी प्रतिशत प्रति जारी किये जायेगे।

9.0 कार्यों के तकनीकी तैयार कराना एवं उनका किया गया व्यवस्था:

विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप कार्यों के तकनीकी तैयार कराये जायेंगे तथा उनका किया गया व्यवस्था कराया जायेगा।

10.0 पूर्णता प्रमाण पत्र:

निर्मित कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र भी विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप है तथा करायें जायेंगे।

11.0 अभिलेख संदर्भ:

अभिलेख संदर्भ विभाग द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2004 के अनुरूप किया जायेगा।

DAHI.S/MAHARA/Guide Line - July.05
12. परिसम्पत्तियों का व्योरा :

योजना के अन्तर्गत सुजित होने वाली सभी परिसम्पत्तियों के व्योरे का संचारण विभाग द्वारा जारी प्रामाणिक निर्देशिका में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

13.0 अंकेक्षण :

जिला स्तर पर योजना के लेखों का प्रतिवर्ष सन्तोष लेखकार द्वारा अंकेक्षण करवाया जाकर अंकेक्षण रिपोर्ट वर्ष की समाप्ति के सीन माह बाद विभाग को भिजवायी जायेगी।

14. नोडल विभाग

राज्य स्तर पर प्रामाणिक विकास विभाग उक्त योजना का नोडल विभाग होगा तथा जिला स्तर पर जिला परिषद (प्रामाणिक विकास प्रकोष्ठ) नोडल एजेंसी होगी।

(एम.के. खनाना)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु:
1. सचिव, महामहीम राज्यपाल, राजो जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, प्रामाणिक विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, राज्य मंत्री, प्रामाणिक विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रामाणिक विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, समस्त सचिव, निदेशक एवं शासन संस्थापक।
9. समारोही आयुक्त, अजमेर, जोधपुर एवं उदयपुर।
10. उप शासन सचिव, विलियम (क्यू-1) / आयोजना विभाग।
11. शासन उप सचिव (प्रशासन) / परिषद निदेशक एवं उप सचिव (समस्त) प्रामाणिक विकास एवं पंचायती राज विभाग।
12. जिला फलक, अजमेर, भीलवाड़ा, धीरजगढ, राजसमंद, एवं पाली।
13. मुख्य कार्यालयी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर, भीलवाड़ा, धीरजगढ, राजसमंद, एवं पाली।
14. सौंप पत्रावली।

(औरंगाबाद सिंह)
परियोजना निदेशक एवं पदक सचिव (एस.ए.पी.)

D:HiI.S/Maeras/Guide Line -July 05
### राज्य में समिलित मगरा क्षेत्र का विवरण

<table>
<thead>
<tr>
<th>जिला</th>
<th>पंचायत समिति</th>
<th>पूर्ण / आशिक</th>
<th>गांवों की संख्या</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>राजसमंद</td>
<td>भीम</td>
<td>पूर्ण</td>
<td>109</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>देवगढ़</td>
<td>पूर्ण</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>अमेट</td>
<td>पूर्ण</td>
<td>136</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>कुम्भलगढ़</td>
<td>पूर्ण</td>
<td>161</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>राजसमंद</td>
<td>पूर्ण</td>
<td>130</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>खमनोर</td>
<td>पूर्ण</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>अजमेर</td>
<td>जावाजा</td>
<td>पूर्ण</td>
<td>193</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>मसूदा</td>
<td>पूर्ण</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>पाली</td>
<td>रायपुर</td>
<td>आशिक</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>भारवाड जंक्शन</td>
<td>आशिक</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>भीलवाड़ा</td>
<td>आशिक</td>
<td>65</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>मांदल</td>
<td>आशिक</td>
<td>73</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>रायपुर</td>
<td>आशिक</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>पिल्लौडगढ़</td>
<td>निम्बाहेड़ा</td>
<td>आशिक</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>योग</td>
<td></td>
<td></td>
<td>1421</td>
</tr>
</tbody>
</table>
मगरा क्षेत्रीय विकास योजना

माओ अध्यक्ष- मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल की अध्यक्षता में आयोजित मगरा क्षेत्रीय विकास मण्डल की तृतीय बैठक दिनांक 15.5.07 में अरावली सरकार की अभियोजन पर लिये गये निर्णयानुसार निम्नांकित 5 गांवों को मगरा क्षेत्रीय विकास योजना में समर्पित किया जाता है:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.सं.</th>
<th>गांव</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>जालरिया</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>दहीमथा</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>भीटा</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>दुगच</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>बांगड</td>
</tr>
</tbody>
</table>

पारियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव(एस.ए.पी.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—
1. सचिव, माओ मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेष सहायक, माओ मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, माओ राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अंतर्गत मुख्य सचिव (विकास) / (समन्वय)।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
9. ,जिला कलकट, भीलवाड़ा राजस्थान।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा, राजस्थान।
11. प्रतिभित पत्रावली।

पारियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव(एस.ए.पी.)
ग्रामीण विकास (अनुभाग-6) विभाग

समिति के अन्तर्गत ग्राम समिलित करने हेतु जारी समसंग्रह विभाग के विभाग में आयोजित समिति करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि जोड़ना में समिलित किये गये गांवों को ग्राम ना पदकर ग्राम पंचायत पद पड़ा जाये।

अतः इन ग्राम पंचायतों में समिलित समस्त ग्राम ग्राम रेपर विकास योजना में समिलित होगे:—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र. सं.</th>
<th>ग्राम पंचायत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>पंचायत समिति आर्थिक</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. जालरिया</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पंचायत समिति मान्दल</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. दहीमथा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>पंचायत समिति रायपुर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. शीटा</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. टुंगव</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. बांगड</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(सिम्मन लाल वर्मा)
परिचारक एवं प्रदेश उप सचिव (एस.ए.पी.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—
1. सचिव, माँ मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. बिशिष्ट सहायक, मांं मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, माँं मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अधि सचिव (विकास) / (समन्वय)।
6. निजी सचिव, मुख्य शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
9. जिला कलकट, भीलवाड़ा।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा।
11. प्रदेश उप सचिव (एस.ए.पी.)

परिचारक एवं प्रदेश उप सचिव (एस.ए.पी.)

(सिम्मन लाल वर्मा)
राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास (अनुभाग - 6) विभाग

करंक: 13 (5)प्राप्त/ग्रुप-6/2005

जयपुर, दिनांक: 15 अप्रैल 2004

:: मगरा क्षेत्रीय विकास योजना - परिपत्र ::

मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के दिशा-निदेशों में विनिमय संख्या 7.1
निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

7.1 “योजनान्तर्गत जिलों को आवंटित राशि 1 अप्रैल के बाद जिलों को एक
मुख्त (एक किर्ति में) जारी कर दी जायेगी।”

(राजेन्द्र भाणावत)
शासन सचिव

प्रतिलिि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—
1. सचिव, मालौ मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग,राज0
4. मिज़ सचिव, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, राज0
5. मिज़ सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामिक एवं पंचायत विभाग।
6. मिज़ सचिव, मिज़ सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज0
7. संभाली आयुक्त-अजमेर/जोधपुर/उदयपुर
8. जिला कलेक्टर, अजमेर, भीलवाड़, धिलोढ़गढ़, राजसमंद, पाली।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर, भीलवाड़, धिलोढ़गढ़, राजसमंद, पाली।
10. संक्षिप्त पत्रावली।

14/3/18
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.)
मगरा क्षेत्रीय विकास योजना—परिपत्र

मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जारी दिशा निर्देश दिनांक 3.8.2005 के विन्दु संख्या 6.2 को निम्नानुसार प्रति स्थापित किया जाता हैं:—

"6.2 योजनान्तर्गत जिलों को आवश्यक बजट की सीमा में जिला परिषद की बैठक में कार्य को अनुमोदन कराया जाकर प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे। इन प्रस्तावों का राज्य स्तर पर परीक्षण कर राज्य स्तरीय विकास मंडल द्वारा अनुमोदन किया जायेगा। मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यों का किरायेवन जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने के उपरान्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा किया जायेगा."

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—
1. सचिव, मा० गुरुवर राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजारोज, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं ग्रामपंचायती राज विभाग, राजारोज, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजारोज, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, आजमेजर/जोधपुर/उदयपुर।
8. जिला कलक्टर, अजमेजर, पाली, भीलवाड़ा, छिलोड़गढ़, राजस्थान।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (प्रा.वि.प्रा.)—अजमेजर, पाली, भीलवाड़ा, छिलोड़गढ़, राजस्थान।
10. रक्षत पत्रावली।

परियोजना निर्देशक एवं पदेन उप सचिव (एस.ए.पी.)